

लॉकडाउन 2.0

जानिए क्या रहेगा बंद

#IndiaFightsCorona



आतिथ्य सेवाओं के अलावा विशेष रूप से अनुमति प्राप्त अन्य सेवाएं



टैक्सी (ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा समेत) और टैक्सी एग्रीगेटर्स की सेवाएं



सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायाम शाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और अन्य ऐसे स्थान



सभी सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य समारोह



सभी धार्मिक स्थलों / पूजा स्थलों को जनता के लिए बंद रखा जाएगा। धार्मिक सभा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी



अंतिम संस्कार के मामले में बीस से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी

लॉकडाउन 2.0

जानिए क्या रहेगा बंद

#IndiaFightsCorona



सुरक्षा और चिकित्सा कार्यों को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा



सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर सभी यात्री ट्रेन सेवा



सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें; मेट्रो रेल सेवाएं



चिकित्सा कारणों को छोड़कर व्यक्तियों की अंतर-जिला और अंतर-राज्यीय आवाजाही



सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि



विशेष रूप से अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छोड़ कर अन्य औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां

लॉकडाउन 2.0 हॉटस्पॉट के लिए दिशा-निर्देश

#IndiaFightsCorona



स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के हॉटस्पॉट या क्लस्टर निर्धारित किए जाएंगे



हॉटस्पॉट में, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/जिला प्रशासनों द्वारा नियंत्रण क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) निर्धारित किया जाएगा



इन नियंत्रण क्षेत्रों में, 20 अप्रैल से दी गई छूट लागू नहीं होगी



इन नियंत्रित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी अनियंत्रित आवागमन की अनुमति नहीं दी जाएगी



लॉकडाउन 2.0

20 अप्रैल के बाद वित्तीय और सामाजिक सेवाओं को अनुमति

#IndiaFightsCorona

वित्तीय क्षेत्र



बैंकिंग कार्यों के लिए आरबीआई और उसके द्वारा विनयमित वित्तीय बाजार और संस्थाएं, बैंक, एटीएम, आईटी वेंडर



सेबी और पूंजी व ऋण बाजार की सेवाएं; आईआरडीएआई और बीमा कंपनियां

सामाजिक क्षेत्र



केयर होम एवं ऑब्जरवेशन होम समेत बच्चों, दिव्यांगों और वृद्धों इत्यादि के लिए घर



ईपीएफओ द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन और भविष्य निधि का भुगतान; आंगनवाड़ी का संचालन



लॉकडाउन 2.0

20 अप्रैल के बाद कार्गो और आवश्यक सेवाओं को अनुमति

#IndiaFightsCorona

कार्गो सेवाएं



हवाई, रेल, भूमि और समुद्री मार्गों द्वारा कार्गो (राज्यीय और अंतर राज्यीय) का परिवहन



दो ड्राइवरों और एक सहायक के साथ ट्राली के वाहनों को अनुमति; डिलीवरी / पिक अप के लिए खाली वाहन

आवश्यक सेवाएं



आवश्यक सामानों की आपूर्ति श्रृंखला जैसे कि विनिर्माण, थोक, खुदरा व्यापार ; आवश्यक वस्तुओं के लिए दुकानें / गाड़ियां



बड़ी ईंट और मोटार भंडार; राजमार्ग पर ढाबों और ट्रकों के मरम्मत की दुकानें; आवश्यक सेवाओं के लिए कर्मचारियों और



लॉकडाउन 2.0 सार्वजनिक स्थलों के लिए दिशा-निर्देश

#IndiaFightsCorona



फेस कवर पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य



सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर प्रतिबंध



विवाह और अंतिम संस्कार डीएम द्वारा विनियमित किए जाएंगे



* सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना के साथ दंड



शराब, गुटका, तंबाकू, आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध

लॉकडाउन 2.0



20 अप्रैल के बाद कुछ अतिरिक्त सेवाओं को भी अनुमति

#IndiaFightsCorona



एसटी और वनवासियों द्वारा गैर-इमारती लकड़ी का उत्पादन, लघु वन की उपज का संग्रहण, कटाई और प्रसंस्करण



बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसालों की खेती और उनकी कटाई, बिक्री और विपणन की गतिविधियां



एनबीएफसी समेत न्यूनतम कर्मचारियों वाले हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ; सहकारी साख समितियां



ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां, जल आपूर्ति और स्वच्छता; बिजली, दूरसंचार और केबल बिछाने की गतिविधियों को छूट



लॉकडाउन 2.0

कृषि संबंधी सेवाओं में
20 अप्रैल के बाद मिलेगी छूट

#IndiaFightsCorona



कृषि संबंधी कार्य; कृषि उत्पादों की खरीद में लगी एजेंसियां



मशीनरी की दुकानें, किराया, उर्वरक और बीज से संबंधित सेवाएं



एपीएमसी मंडियां, प्रत्यक्ष विपणन संचालन; कटाई और बुवाई



मत्स्य पालन की गतिविधियां; मुर्गी पालन और वाणिज्यिक अक्वेरियम



अधिकतम 50% श्रमिकों के साथ चाय, कॉफी और रबर के बागानों की गतिविधियों को अनुमति



दूध की आपूर्ति श्रृंखला, दुग्ध उत्पाद का वितरण व बिक्री समेत पशुपालन की गतिविधियां



लॉकडाउन 2.0

20 अप्रैल के बाद कमर्शियल सेवाओं को अनुमति

#IndiaFightsCorona



प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया; 50% तक के कार्यबल के साथ आईटी सेवाएं



सरकार की गतिविधियों के लिए डेटा और कॉल सेंटर, पंचायत स्तर पर सीएससी




ई-कॉमर्स कंपनियां, कूरियर सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग



निजी सुरक्षा और फैसिलिटी प्रबंधन सेवाएं; होटल, होमस्टे इत्यादि



क्वारेन्टाइन सुविधा के लिए इस्तेमाल संस्थान; इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर आदि स्व-नियोजित व्यक्तियों की सेवाएं



लॉकडाउन 2.0

20 अप्रैल के बाद औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अनुमति

#IndiaFightsCorona



ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग, एसईजेड और निर्यात उन्मुख इकाइयां, औद्योगिक एस्टेट, औद्योगिक टाउनशिप



आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयां, आईटी हार्डवेयर; खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां; जूट उद्योग



कोयला और खनिज उत्पादन और तेल व गैस रिफाइनरी; ग्रामीण क्षेत्रों में ईट भट्टे



सड़क समेत सिंचाई परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की निर्माण गतिविधियों ; नगर पालिकाओं की निर्माण परियोजनाएं

लॉकडाउन 2.0 कार्यस्थलों के लिए दिशानिर्देश

#IndiaFightsCorona



तापमान स्क्रीनिंग और सैनिटाइज़र की समुचित व्यवस्था; सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करें



दो शिफ्ट के बीच एक घंटे का अंतराल; आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग को प्रोत्साहित करें



65 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता-पिता को घर से काम करने की सलाह



सभी संस्थान शिफ्ट के बीच अपने कार्यस्थलों की सफाई सुनिश्चित करेंगे; बड़ी बैठकों पर प्रतिबंध



लॉकडाउन 2.0

20 अप्रैल के बाद सार्वजनिक उपयोगिताओं को अनुमति

#IndiaFightsCorona



शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग समेत ऑनलाइन शैक्षणिक सेवाएं



मनरेगा का कार्य, सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता, श्रमिकों को फेस मास्क का उपयोग करना होगा और सामाजिक दूरी रखनी होगी



तेल एवं गैस, ऊर्जा, डाक सेवाएं, जल, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं का संचालन



लॉकडाउन 2.0

20 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को अनुमति

#IndiaFightsCorona



अस्पताल, नर्सिंग होम, टेलीमेडिसिन सुविधाएं, चिकित्सा दुकानें और औषधालय



चिकित्सा अनुसंधान, कोविड-19 से संबंधित लैब और संग्रह केंद्र; अधिकृत निजी प्रतिष्ठान



पशु चिकित्सालय, औषधालय, क्लिनिक, टीके व दवाओं की बिक्री और आपूर्ति




विनिर्माण इकाइयां, चिकित्सा उपकरण और स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण



सभी चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों, नर्सों, पैरा-मेडिकल स्टाफ, लैब तकनीशियनों का आवागमन

लॉकडाउन 2.0 20 अप्रैल के बाद चुनिंदा व्यक्तियों की आवाजाही को अनुमति

#IndiaFightsCorona



चिकित्सा आपातकालीन सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए निजी वाहन



4-व्हीलर के मामले में, ड्राइवर के अलावा पीछे की सीट में एक यात्री की अनुमति



2-पहिया वाहनों के मामले में केवल वाहन चालक को अनुमति



राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश / स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त कार्य के लिए यात्रा करने वाले सभी कर्मचारी